

कार्यालय आबकारी, मनोरंजन एवं विलासता कर
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
एल ब्लॉक, विकास भवन, दिल्ली-110002

अतारांकित प्रश्न संख्या :- 100

दिनांक :- 20.03.2018

प्रश्नकर्ता का नाम :- श्री रघुविंद्र शैकीन

क्या उपमुख्यमंत्री/ मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

प्रश्न	उत्तर
(क) क्या यह सत्य है कि जन शिकायत निगरानी प्रणाली (पीजीएमएस) के द्वारा दिनांक 27.02.2018 तक आबकारी मनोरंजन और लग्जरी कर विभाग से संबंधित 1277 शिकायतें दर्ज की गई जिसमें से 26 शिकायतें अभी भी लंबित है,	जी हाँ। इस विभाग में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार 27.02.2018 तक कुल 1280 शिकायतें पीजीएमएस प्रणाली के अन्तर्गत दर्ज हुई थीं। इसमें 27.02.2018 तक 14 शिकायतें लंबित थीं।
(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि इनमें से 15 शिकायतें निर्धारित निवारण समय से भी अधिक समय से लंबित है,	पाँच शिकायतें निर्धारित निवारण समय से अधिक समय से लंबित थीं। जिनमें से चार का निवारण हो गया है।
(ग) यदि हां तो इसका कारण क्या है,	एक लंबित शिकायत में आबकारी टीम द्वारा निरीक्षण कर लिया है। तथा नियमानुसार उचित जवाब देने हेतु पत्रावली विचाराधीन है।
(घ) क्या यह भी सत्य है कि 129 शिकायतों पर विभाग द्वारा दिए गए जवाब/कार्रवाई को संतोषजनक नहीं पाया गया है,	जी हाँ।
(ङ) यदि हां, तो इन शिकायतों पर विभाग ने क्या कार्रवाई की है,	विभाग ने शिकायतों के निवारण का नियमानुसार प्रयास किया।
(च) क्या यह भी सत्य है कि सभी शिकायतों के निवारण के लिए समय-समय पर मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्य सचिव के द्वारा भी विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए,	जी हाँ। कुछ शिकायतों पर निवारण हेतु निर्देश प्राप्त हुए हैं।
(छ) इन शिकायतों के समय पर निवारण के लिए विभाग ने क्या कदम उठाए हैं,	विभाग ने नियमानुसार शिकायतों के निवारण करने का प्रयास किया है। जहाँ

9/3/18

	आवश्यक समझा गया आबकारी टीम द्वारा निरीक्षण भी करवाया गया। जो शिकायतें कानून व्यवस्था से संबंधित थी, उन्हें संबंधित पुलिस अधिकारी को उचित कार्यवाई हेतु भेज दिया गया।
(ज) निवारण के लिए ये शिकायतें किन-किन अधिकारियों के पास और कब-कब भेजी गई, इसका पूर्ण विवरण प्रदान करें,	निवारण हेतु ये शिकायतें संबंधित सहायक आबकारी आयुक्तों के पास समय-समय पर भेजी गयी।
(झ) संबंधित अधिकारियों ने इनके निवारण के लिए क्या कदम उठाए, इसका पूर्ण विवरण प्रदान करें, और	संबंधित अधिकारियों ने नियमानुसार कदम उठाये व निरीक्षण भी कराये हैं, तथा उपचारात्मक कार्यवाई भी की गयी।
(ट) इन शिकायतों का निवारण कितने समय में हो जाएगा ?	निवारण योग्य शिकायतों का निवारण नियमानुसार कर दिया जायेगा।

